संख्या-38/2021/397/छप्पन-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक :16 मार्च, 2021

विषय:राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर कै0 प्रज्ञेश मिश्र को मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू में सिमुलेटर पर डी0जी0आर0 ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग, क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग तथा इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 26/ना0उ0नि0/आप्स-पी0एम0/2020, दिनांक 16 फरवरी, 2021 में किए गए प्रस्तावानुसार श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2020-21 में कै0 प्रज्ञेश मिश्र को राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर दिनांक 21.03.2021 व 22.03.2021 (02 यात्रा दिवस अतिरिक्त) की तिथियों में मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू में डी0जी0आर0 ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग, क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग तथा इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग दिए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 5,90,000/- (रूपए पांच लाख नब्बे हजार मात्र) का भुगतान बिल बेसिस के माध्यम से ट्रेनिंग पूर्ण होने की तिथि से एक माह के अन्दर भुगतान किये जाने तथा यात्रा व्यय यथा समय टी0ए0/डी0ए0 बिल सम्बन्धित पायलट द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान करने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रशिक्षण के सन्दर्भ में मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू द्वारा कै0 प्रज्ञेश मिश्र के प्रशिक्षण की आवंटित तिथि में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो ऐसी दशा में श्री राज्यपाल द्वारा मात्र प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया जाता है कि मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू से प्रशिक्षण की वास्तविक/संशोधित तिथि प्राप्त होने के बाद वे सम्बन्धित पायलट को ट्रेनिंग पर प्रस्थान करने हेतु अनुमति प्रदान करें। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि (02 दिन तथा 02 यात्रा दिवस) तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में यथा समय शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) उक्त धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् बिल बेसिस के माध्यम से ट्रेनिंग पूर्ण होने की तिथि से 01 माह के भीतर मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू को किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4) सम्बंधित पायलट को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जाएगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि में से समस्त भुगतान के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(6) उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(10) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष आवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(12) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(13) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं 18 मई, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-441/दस-2020 दिनांक: 16 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-38/2021/397(1)/छप्पन-2021-14(सा0)/2020 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य), अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।